"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई,दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 557] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 19 दिसम्बर 2013—अग्रहायण 28, शक 1935

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-10/आठ-परि./2013.—छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 213 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व प्रमुख सचिव (परिवहन), छत्तीसगढ शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर (कक्ष क्रमांक एस.-4-10) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हों, पर छत्तीसगढ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में-

1. नियम 2 के खण्ड (क क) को विलोपित किया जाये.

2. नियम 2 के खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(ख) "अतिरिक्त परिवहन आयुक्त", "संयुक्त परिवहन आयुक्त", "उप परिवहन आयुक्त" और "सहायक परिवहन आयुक्त" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त तथा पदस्थ अधिकारी;

"(खख) "जिला परिवहन कार्यालय" से अभिप्रेत है, ऐसा कार्यालय, जो राज्य सरकार द्वारा एक या अधिक जिलों को समाविष्ट कर, अधिनियम, उसके अन्तर्गत विहित नियमों तथा अन्य परिवहन विधियों के अधीन परिगणित कर्तव्यों और कृत्यों का पालन करने के लिए स्थापित किया गया है; तथा "परिवहन जॉच–चौकी" से अभिप्रेत है, ऐसी जॉच–चौकी, जो राज्य सरकार द्वारा ऐसे जिला परिवहन कार्यालय के भाग के रूप में ऐसे कर्तव्यों और कृत्यों का पालन करने के लिये, जिनका जिला परिवहन कार्यालय द्वारा अधिनियम, उसमें विहित नियमों तथा अन्य परिवहन विधियों के अधीन पालन किया जा रहा है, स्थापित किया गया है;

3. नियम–2 के खण्ड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(ज) "वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी", "क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी", "अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी" या "सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा अधिनियम, उसके अन्तर्गत विहित नियमों एवं अन्य परिवहन विधियों के अधीन कर्तव्यों और कृत्यों का पालन करने के लिए किसी भी प्रदेश, जिले अथवा क्षेत्र के लिए नियुक्त किया गया अधिकारी;"

No. F-5-10/viii-Trans/2013. —The following further draft to amend the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 213 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), is hereby, published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Any objection or suggestions regarding the said draft received from any person, before the specified period and during office hours by the office of the Principal Secretary (Transport), Government of Chhattishgarh, Department of Transport, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur, (Room No. S-4-10) shall be considered by the Government of Chhattishgarh.

DRAFT-AMENDMENT

In the said rules-

1. Clause (aa) of Rule 2 shall be omitted.
2. For Clause (b) of Rule 2, the following shall be substituted, namely :-

"(b) "Additional Transport Commissioner", "Joint Transport Commissioner", "Deputy Transport Commissioner" and "Assistant Transport Commissioner" means the Officers appointed and posted as such by the State Government;

"(bb) "District Transport Office" means an office comprising of one or more Districts, established as such by the State Government, to perform the duties and functions enumerated under the Act, the rules prescribed thereunder and other transport laws; and "Transport Check-post" means the check-post established by the State Government as a part and parcel of such District Transport Office, to perform the duties and functions as are performed by the District Transport Office under the Act, the rules prescribed therein and other transport laws;

3. For clause (h) of rule (2), the following shall be substituted, namely :-

"(h) "Senior Regional Transport Officer", "Regional Transport Officer", "Additional Regional Transport Officer" or "Assistant Regional Transport Officer" means any officer appointed as such by the State Government for any region, district or area to perform the concerned duties and functions under the Act, the rules prescribed thereunder and other Transport laws."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ईमिल लकड़ा, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2013.